मु.नं.–19 / 2020 GCMS ID-2020/00036 ता.रजु–03.06.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

एडवोकेट चंद्रभान सिंह राजावत, निवासी–पोस्ट ऑफिस नं. 23ए, गगनविहार, हरनाथपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोड़ाभीम, जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

1. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित किये जाने से प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. उभयपक्षकारान को दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का मातासूला में आबादी ठाकुरान–मंदिर–रास्ता दक्षिण दिशा मातासूला की तरफ से पहाड़ी की तरफ, खसरा नं. 159, 143, 144, 146 के आसपास जो हाल जमाबंदी में दर्ज हैं, के मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस आदि कुल 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अधि. / 2020 / 112 दिनांक 04.08.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि अपीलार्थी के आवेदन का जवाब, अपीलार्थी को भिजवा दिया गया है। जवाब की प्रति संलग्न प्रेषित की है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं शेष सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने, विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested